प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। प्रतिवेदन के भाग-I में राज्य सरकार के 16 विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाहित हैं तथा भाग-II राज्य के 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम) एवं चार स्वायत्तशासी निकायों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा उसके अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा तथा लेखों के विनियमन, 2020 के अंतर्गत की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2020-21 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2020-21 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक, 2017 के अनुरूप की गयी है।